यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के माह 03/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यबीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/02/2019 से 21/02/2019 तक श्री वी0पी0 सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, श्री डी0के0 मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05.03.2017 से 15.03.2017 तक में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2014 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला अल्मोडा के अंतर्गत विकास खण्ड ताड़ीखेत, भिखियासैंण, स्याल्दे, सल्ट एवं चौखुटिया में नहरों का संचालन/निर्माण व बाढ़ कार्य एवं जल संवर्धन तथा रमसा के कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2016-17	-	-	336.08	320.32	441.54	441.54	-	-
2017-18	-	-	386.19	371.06	513.82	513.82	-	-
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	352.48	260.89	323.18	161.73	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2016-17	CSSR		95.55	95.55		
2017-18	CSSR		187.00	187.00		
2018-19 (up to 11/2018)	-		-	-		

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
––मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा (स्तर–2),
–– अधीक्षण अभियन्ता , सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा,
––अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में नाबार्ड मद के अन्तर्गत रामगंगा बायी नहर के पुनरोद्धार की योजना कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... शून्य ..... का निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 12/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः–

भाग प्रथम ₹(-) 6960.00

भाग द्वितीय ₹406636.05

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 469758.00

(ख) सामग्री क्रय ———

(ग) नगद परिशोधन ———

(घ) निक्षेप ₹ 40106695.36

(ङ) भण्डार ₹ (-) 333444.85

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1 - नहरों से सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के सींच एवं नहरों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत परिचालित 86 नहरों मे से 47 नहरे जिनका कृषि सिंचित क्षेत्र (**CCA) 1056.40** हेक्टेयर था। उनके द्वारा विगत 03 वर्षो 2015-16 मे **259.00** हेक्टयर**,** वर्ष 2016-17 मे 230.00 हेक्टयर एवं वर्ष 2017-18 मे केवल **234.00** हेक्टयर सींच ही प्राप्त हो रही थी**,** जो कि वर्णित नहरों के कुल **CCA** का **22.15** प्रतिशत ही है। साथ ही कुल सीसीए मे से लगभग **822.4 हेक्टेयर** भूमि वर्तमान मे भी असिंचित थी । उल्लेखित 47 नहरों से प्राप्त सींच का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>नहरो से प्राप्त सींच का विविरण, सिंचाई खण्ड़, रानीखेत</u>

क्र0 सं0	विकास खण्ड	नहर का नाम	C.C.A. है0 में	वर्ष 2015–16 में प्राप्त सींच			वर्ष 2016–17 में प्राप्त सींच			वर्ष 2017–18 में प्राप्त सींच		
				खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1		मासी हाईड्रम नहर	20	6	7	13	6	7	13	-	-	0
2		आदीग्राम हाईड्रम नहर	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3		मैल्टगाँव हाईड्रम नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4		मिरई नहर	30	11	11	22	11	12	23	11	12	23
5		बाखली नहर	36	7	7	14	7	7	14	7	7	14
6		ढ़ौन नहर	14	5	5	10	5	5	10	5	5	10
7	चौखुटिया	सुनगढ़ी नहर	24	6	6	12	6	6	12	6	6	12
8		मावड़ी बाखल नहर	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		सौनगाँव नहर	24	4	5	9	4	5	9	4	5	9
10		जमनिया नहर	121	6	19	25	6	19	25	6	19	25
11		बसरखेत नहर	20	1	1	2	1	1	2	1	1	2
12		सेलाबगड़ नहर	6	1	1	2	1	1	2	1	-	1
13		धुधलिया महर प्रथम	8	2	2	4	2	2	4	3	2	5
14		स्वीटोत्याड़ नहर	23	10	6	16	10	6	16	10	6	16
15		जमनिया सहायक गूल	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	भिकियासैंण	भिकियासैंण नहर	22	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17		मासों नहर	17	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18	रहा	ईड़ानार नहर	34	1	-	1	-	-	-	-	-	0

19		नौगाँव कफड़ा नहर	33	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20		ईड़ाकार्की नहर	33	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21		उम्यारी नहर	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22		बसेरा नहर	46	-	-	-	5	-	5	-	-	0
23		तिपोला नहर	20	10	5	15	-	2	2	5	10	15
24		बड़ेत नहर	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25		पैठानी नहर	32.4	13	10	23	6	6	12	2	8	10
26		गाजाबिष्ट नहर	15	-	4	4	-	1	1	-	5	5
27		नॉयल नहर	12	4	5	9	4	5	9	5	5	10
28		मटेगाड़ टैंक	10	-	1	1	-	1	1	-	-	0
29	स्याल्दे	चम्याड़ी नहर	27	12	12	24	12	12	24	12	12	24
30		चनाड़ नहर	16	2	2	4	1	1	2	1	1	2
31		महरौली नहर	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32		सुरमौली नहर	-	-	8	8	-	-	-	-	-	0
33		अफौ नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34		बरंगल नहर	20	-	-	-	-	-	-	5	7	12
35	सल्ट	पीनाकोट नहर	6	1	1	2	1	1	2	1	1	2
36		बन्द्राण नहर	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0
37		उन्यालगाँव नहर	16	2	4	6	2	4	6	2	4	6
38		अजोली नहर	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0
39		कुपीयारूण नहर	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0
40		सिराली नहर	21	6	6	12	6	6	12	6	6	12
41		कादड़ नहर	20	7	7	14	7	7	14	7	7	14
42	ताड़ीखेत	दूगौड़ा नहर	14	2	2	4	2	7	9	2	2	4
43		सागुड़ा नहर	12	1	-	1	-	-	-	-	-	0
44		रतगल नहर	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1
45		नौगाँव नहर	50	1	-	1	-	-	-	-	-	0
46		कुठारसेरा नहर	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0
47		ईनाड़ नहर	25			0			0			0
योगः–			**1056.4**	**122**	**137**	**259**	**106**	**124**	**230**	**103**	**131**	**234**

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित सींच के सापेक्ष कम सींच प्राप्त करने के संबंध में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड द्वारा संबन्धित नहरों से अधिकतम सींच प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

खण्ड के उत्तर से ही स्पष्ट है कि उक्त नहरों से लक्ष्य के सापेक्ष कम सींच प्राप्त की जा रही थी। जबकि खण्ड का मुख्य कार्य ही स्थानीय किसानो को पर्याप्त सींच प्राप्त कराना है, जिससे स्थानीय किसानो को उसका लाभ मिल सके। उक्त नहरों से संबन्धित अभिलेखो के अनुसार विगत तीन वर्षो से लगातार उक्त नहरों से कम सींच प्राप्त हो रही है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्तावित सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 रु 296.27 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किया जाना एवं नाबार्ड मद मे प्राप्त रु 29.39 लाख की धनराशि का अन्य कार्यो पर व्यय किया जाना। तथा बिना Tax Invoice/Receipt प्राप्त किए ही ठेकेदार को रु 38200 का GST के रूप मे अतिरिक्त भुगतान किया जाना।

मुख्यमंत्री घोषणा 1937/2015 के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड चौखुटिया मे (नाबार्ड-22 मे स्वीकृत) रामगंगा बायी नहर के पुनरोद्धार की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति रु 296.27 लाख की पत्रांक: संख्या:NB.SPD/1418/RIDF-XXII (Uttarakhand)/ 157th PSC-22.08.2016/2016-17 दिनांक: 30 अगस्त 2016 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 296.27 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 07.12.2016 को मुख्य अभियंता (स्तर-2), सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रदान की गयी।

अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, रानीखेत की लेखापरीक्षा माह 02/2019 मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य की एक ही प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद खण्ड द्वारा कार्य को टुकड़ो मे विभक्त कर वर्ष 2017 से 2019 के मध्य कुल **35** अनुबंध (अधिशासी अभियंता स्तर से 02 एवं सहायक अभियंता स्तर से 33) गठित किए गए थे, जिनके सापेक्ष विभाग द्वारा माह 01/2019 तक रु 149.21 लाख का भुगतान किया जा चुका था। किन्तु कार्य अभी भी पूर्ण नही किया गया था। आगे अभिलेखो के अवलोकन मे यह भी पाया गया कि कार्य हेतु आबंटित धनराशि मे से अनुबन्धो के सापेक्ष एवं contingency मे कुल रु 152.21 लाख का ही भुगतान किया गया था, जबकि माह 01/2019 की **MPR** के अनुसार कार्य पर रु 181.60 लाख का व्यय किया जा चुका था। अर्थात नाबार्ड मद की रु 29.39 लाख धनराशि का अन्य कार्य पर भुगतान किया गया था। जबकि उक्त कार्य पूर्ण नही किया गया था। आगे अभिलेखो के अवलोकन मे यह भी पाया गया कि ठेकेदार को बिना Tax Invoice/Receipt के ही रु 38200 का GST का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि 18 किमी० लम्बी नहर होने के कारण विभिन्न रीचों के क्षतिग्रस्त कार्यो को करने हेतु छोटे-छोटे अनुबंध गठित कर कार्य कराये गये। आगे अवशेष धनराशि रु 32.39 लाख के सम्बंध मे अवगत करवाया गया कि रु **3**.00 लाख contingency मद मे व्यय किए गये है अन्य

अनुबन्धो/व्यय की आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी। GST के भुगतान के सम्बंध मे अवगत करवाया गया कि GST नम्बर द्वारा ही भुगतान किया गया है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी विभाजित किया जा सकता है, यदि कार्य का त्वरित सम्पादन किया जाना हो किन्तु उपरोक्त कार्य की स्वीकृति 2016 मे मिलने के बावजूद भी माह 01/2019 तक भी पूर्ण नही किया गया था। अत: अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति एवं एक करोड़ से अधिक का कार्य होने के कारण अधीक्षण अभियंता स्तर से e-tendering के माध्यम से अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। रु 29.39 लाख उक्त कार्य पर ही व्यय करने के सम्बंध मे भी खण्ड द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया जा सका तथा संबन्धित ठेकेदार के GST number एवं Tax Invoice/Receipt प्राप्त करने के सम्बंध मे भी कोई जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही कर सका।

अत: प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–3 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 28 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक योजनाओं का परित्याग नही किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के अभिलेखो की नमूना जॉच (माह 02/2019) में पाया गया कि सिंचाई खण्ड, रानीखेत के तहत 08 नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को वर्ष 1990–91 से 1999–2000 के मध्य विभिन्न कारण से परित्याग योग्य घोषित किया गया परन्तु अभी तक (01/2019 तक) योजनाओं का परित्याग नही किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	खण्ड का नाम	नहर/लघुडाल नहर/नलकूप का नाम	निर्माण वर्ष	परित्याग योग्य होने का वर्ष	सी0सी0ए0 (है0)	नहर की लम्बाई (किमी0)
1.	भिकियासैण	सिंचाई खण्ड रानीखेत	भिकियासैण नहर	74-75	95-96	22	5.650
2.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	मासी हाईड्रम	79-80	92-93	20	-
3.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	कोटयूडा हाईड्रम	79-80	92-93	10	-
4.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	भल्टगॉव हाईड्रम	79-80	92-93	20	-
5.	चौखुटिया	सिंचाई खण्ड रानीखेत	आदिग्राम हाईड्रम	77-78	90-91	10	-
6.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	अजोली नहर	65-66	93-94	10	3.270
7.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	कुपीसारूड नहर	87-88	1999-2000	60	9.850
8.	सल्ट	सिंचाई खण्ड रानीखेत	बन्द्राण नहर	59-60	1993-94	20	7.186
		सिंचाई खण्ड रानीखेत योग				**172**	**25.956**

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि परित्याग के प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि सिंचाई योजनाओं को परित्याग योग्य घोषित होने के 28 वर्षो उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (माह 01/2019) तक योजनाओं का परित्याग नही किया जा सका था और इस सन्दर्भ में इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास भी नही किये गये थे।

अतः नहर/लघुडाल नहर सिंचाई योजनाओं को विगत 28 वर्षो से परित्याग योग्य घोषित होने के उपरान्त भी आतिथि तक (माह 01/2019) योजनाओं का परित्याग नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर –4 कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय रू0 23.47 लाख की LD की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किया जाना।

जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड, ताड़ीखेत में काकड़ीघाट पर सिरोंता नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य कुल 570 मीटर लम्बाई में तकनीकी सलाहकार समिति की दिनांक 21.02.2015 की बैठक में योजना लागत रू0 239.42 लाख की अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या : 638/1/सिकामअ/जी–8 (नाबार्ड) दिनांक– अल्मोड़ा 17 मार्च 2016 के माध्यम से लागत रू0 245.33 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्य योजना में सिरोंता नदी के बाये तट पर गांव की ओर 570 मीटर में 1:3:6 कंक्रीट प्रतिधारक दीवार (3.00×1.50×1.50) मी0 प्रस्तावित था, जिसकी आधार की चौड़ाई 1.30 मी0 व टॉप की चौड़ाई 0.50 मी0 तथा सामने सी0सी0ए0 1:3:6 के डैन्टल ब्लाक तथा दांये तट पर 250 मी0 मुख्य दीवार के साथ (3.00×1.50×1.50) मी0, सी0सी0ए0 1:3:6 ब्लाक प्रस्तावित था। कार्य निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्या 01/एस0ई0/2016–17 मै0 सिद्धि विनायक कन्स्ट्रक्शन, रानीखेत के साथ अनुबन्ध लागत रू0 23470250.00 का गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.07.2017 थी। अनुबन्ध के Part I General Condition of Contract Clause 44 एवं Contract Data बिन्दु संख्या 24 के अनुसार 'Amount of liquidated damages for delay in completion of works

for whole of work 0.5 percent of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per week.Maximum limit of liquidated damages for delay in completion of work 10 per cent of the initial contract price rounded off to the nearest thousand. कार्य में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर LD लगाया जाना था। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.07.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 26.07.2017 थी, कार्य को दिनांक 26.07.2017 तक (अनुबन्ध के अनुसार समाप्ति की तिथि) पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था, जबकि समयवृद्धि प्रपत्र दिनांक 27.10.2017 के अनुसार दिनांक 26.01.2018 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। इस प्रकार समयवृद्धि की उक्त तिथि 26.01.2018 के पश्चात् लेखापरीक्षा की तिथि तक कुल 388 दिनों अर्थात् 55 सप्ताह (week) का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये अनुबन्ध के उक्त Clause के अनुसार LD की धनराशि रू0 2347000.00 देय थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिये थी परन्तु LD के लिये कोई भी कटौती ठेकेदार को भुगतान करते समय नही की गयी थी ।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि कार्य स्थल नदी किनारे होने के कारण वर्षाकाल में नदी का जल स्तर बढ जाने से कार्य बन्द रहता है जिस कारण वर्षभर कार्य नही हो पाता है। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योंकि ठेकेदार द्वारा कार्य को आबंटित होने के बाद समय से प्रारम्भ नही किया गया था तथापि समय वृद्धि प्रदान करने के बावजूद भी समय वृद्धि की तिथि 26.01.2018 तक कार्य को ठेकेदार द्वारा पूर्ण नही किया गया था तत्पश्चात् लेखापरीक्षा की तिथि तक कुल 388 दिनों अर्थात् 55 सप्ताह (week) का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये अनुबन्ध के उक्त Clause के अनुसार LD की धनराशि रू0 2347000.00 देय होती थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से

की जानी चाहिये थी परन्तु LD के लिये कोई भी कटौती ठेकेदार को भुगतान करते समय नही की गयी थी ।

अतः कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु देय रू0 23.47 लाख की LD की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब	STAN
1.	84/1990-91	1,2	-	
2.	143/96-97	2	1,2	
3.	167/97-98	1	1,2,3,4,5	
4.	02/01-02	1	-	1,2
5.	05/02-03	-	-	1
6.	96/2004-05	1	-	1,4
7.	56/2007-08	1	1,2	
8.	11/2014-15	-	1,2	
9.	113/2016-17	-	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विगत वर्षो के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) देहरादून को पूर्व मे ही प्रेषित कर दी गयी है ।			

भाग-IV

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

--शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग रानीखेत,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. अप्रस्तुत अभिलेख:

3. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री संजय शुक्ल	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से 24.11.2017 तक
2.	श्री जगत नारायण सिंह	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक: 25.11.2017 से 22.01.2018 तक
3.	श्री दयाल सिंह रोतेला	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक: 23.01.2018 से 30.11.2018 तक
4.	श्री आर०सी० पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक: 01.12.2018 से वर्तमान तक

5. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी, विगत लेखा परीक्षा से 03.10.2017 तक

2.श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, खण्डीय लेखाधिकारी, दिनांक: 04.10.2017 से 06.09.2018 तक

3.श्री रत्नेश कुमार, खण्डीय लेखाधिकारी, दिनांक: 07.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग रानीखेत** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2